

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

1. समस्त प्राचार्य/ प्राचार्या, संघटक महाविद्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक/ अशैक्षणिक विभाग, रा.वि.वि., जयपुर।
3. समस्त निदेशक, समस्त पी.जी. केन्द्र/ केन्द्रीय पुस्तकालय/पोद्दार प्रबन्ध संस्थान/ सी.सी.टी./ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज/ छात्र परामर्श केन्द्र, रा.वि.वि., जयपुर।
4. सचिव, खेल बोर्ड, रा.वि.वि., जयपुर।
5. मुख्यावासाधिकारी, छात्र/ छात्रा, रा.वि.वि., जयपुर।
6. समस्त आवासाधिकारी, रा.वि.वि., जयपुर।
7. वित्त नियन्त्रक एवं वित्तीय सलाहकार, रा.वि.वि., जयपुर।
8. परीक्षा नियन्त्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
9. सहायक विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, रा.वि.वि., जयपुर।
10. प्रबन्धक, अतिथि गृह/ वि.वि. अभियन्ता, रा.वि.वि., जयपुर।
11. प्रभारी, उद्यान विभाग/ वि.वि. प्रेस, रा.वि.वि., जयपुर।

क्रमांक : संस्था.-2/ 2015/6634

दिनांक : 26.10.2015

परिपत्र

महोदय/ महोदया,

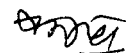
कुलपति महोदय के आदेशों की अनुपालना में लेख है, कि विश्वविद्यालय में दिनांक 02.11.2015 से 13.11.2015 तक विशेष अवकाश व दीपावली अवकाश है। अतः आपके अधीन एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत व्यक्तियों का दिनांक 29.10.2015 तक उनकी उपस्थिति के आधार पर व दिनांक 30.10.2015 व 31.10.2015 की उपस्थिति मानते हुए उनका अक्टूबर 2015 माह के पारिश्रमिक सम्बन्धी बिल दिनांक 29.10.2015 तक आवश्यक रूप से लेखा एवं वित्त विभाग में भिजवाने का श्रम करें, एवं यदि एजेन्सी से कार्यरत कोई व्यक्ति दिनांक 30 या 31.10.2015 अथवा दोनों दिन अनुपस्थित रहता है, तो उसका समायोजन नवम्बर माह के बिल से किया जायेगा।

विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त सेवा प्रदाता एजेन्सियों को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि उनके माध्यम से विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों/ विभागों में कार्यरत व्यक्तियों के अक्टूबर 2015 माह के पारिश्रमिक का बिल सम्बन्धित इकाई प्रभारियों से उपरोक्तानुसार प्रमाणित करवाते हुए दिनांक 29.10.2015 को आवश्यक रूप से लेखा एवं वित्त विभाग में भुगतान हेतु भिजवायें एवं 30 या 31.10.2015 अथवा दोनों दिन अनुपस्थित रहने वाले व्यक्तियों के भुगतान का समायोजन नवम्बर माह के बिल में करें।

उक्त अवकाश अवधि में विशेष कार्य एवं आवश्यकता होने पर सम्बन्धित इकाई प्रभारी उनके अधीन कार्यरत व्यक्तियों को कार्य करने हेतु निर्देश प्रदान कर सकते हैं। इस कार्य हेतु उन व्यक्तियों को अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा।

As V.C. orders dt.
23.10.15

भवदीय,



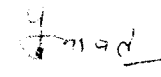
(केदार मल गुप्ता)
कुलसचिव

क्रमांक : संस्था-2 / 2015 / 6635 - 6734-

दिनांक : 26.10.15.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव / अनुभागाधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 2- उप-कुलसचिव, लेखा एवं वित्त, रा.वि.वि., जयपुर - को प्रेषित कर लेख है कि एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत व्यक्तियों का अक्टूबर 2015 माह के वेतन बिल दिनांक 31.10.2015 तक पास करते हुए इनके वेतन के चेक सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सियों को उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
- 3- राजस्थान एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सुख निवास, डी-225, तुलसी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
- 4- पिकसिटी सिक्योरिटी एण्ड सर्विसेज, 13, ग्रीन एवेन्यू, खातीपुरा रोड़, जयपुर-12
- 5- शक्ति को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड ए-08, ए-ब्लॉक, ग्राउण्ड फ्लोर, अमृत कलश अपार्टमेंट, कमल एण्ड कंपनी के पास, टोंक रोड़, जयपुर।
- 6- राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड (REXCO), सांझी छत, पी-8, सैक्टर-2, विद्याधर नगर, जयपुर-302039
- 7- निजी सचिव, कुलपति / कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।


(पी.कुमावत) 26/10/2015
उप-कुलसचिव (संस्था-2)